



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-70

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 262304 दिनांक 15/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Nishant Saxena S/o BHARTI SHARAN SAXENA एवं Shweta Srivastava W/o RISHI SAXENA एवं Neha Saxena W/o NISHANT SAXENA	श्री मानसिंह पुत्र श्री गुलाब चन्द एवं श्रीमती कविता पत्नी श्री मानसिंह	429	198.00 SQ. METER	JDA	PATRAKAR COLONY Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदकगण श्री निशान्त सक्सैना पुत्र श्री भारती सक्सैना, श्रीमती स्वेता श्रीवास्तव पत्नी स्व0 श्री ऋषि सक्सैना एवं श्रीमती नेहा सक्सैना पत्नी श्री निशान्त सक्सैना द्वारा जविप्रा की योजना पत्रकार कॉलोनी के आवासीय भूखण्ड संख्या 429 क्षेत्रफल 198 व0मी0 लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा क्रमांक 06 दिनांक 30.12.2004 के द्वारा श्री मानसिंह पुत्र श्री गुलाब चन्द एवं श्रीमती कविता पत्नी श्री मानसिंह के नाम जारी किया गया था। पंजीकृत



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								विक्रय पत्र के आधार पर आवेदित भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण क्रमांक डी-1819 दिनांक 01.08.2016 के द्वारा श्री ऋषि सक्सैना एवं श्री निशांत सक्सैना पुत्रान श्री भारती शरण सक्सैना, श्रीमती स्वेता श्रीवास्तव पत्नी श्री ऋषि सक्सैना एवं श्रीमती नेहा सक्सैना पत्नी श्री निशांत सक्सैना के पक्ष में जारी किया गया था। उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार श्री ऋषि सक्सैना की मृत्यु दिनांक 30.04.2021 को हो चुकी है एवं मृतक की पत्नी श्रीमती स्वेता श्रीवास्तव द्वारा अपलोड शपथ पत्र अनुसार मृतक की एकमात्र वारिस उनकी पत्नी श्रीमती स्वेता श्रीवास्तव है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Nishant Saxena S/o BHARTI SHARAN SAXENA एवं Shweta Srivastava W/o RISHI SAXENA एवं Neha Saxena W/o NISHANT SAXENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित समाचार पत्र के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।